[2018] 2 एस.सी.आर. 629

मुनुसामी एवं अन्य

बनाम

प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (विल्लुपुरम) लिमिटेड।

(सिविल अपील संख्या 1754 वर्ष 2018)

09 फरवरी, 2018

[दीपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश, एएम खानविलकर व डॉ॰ डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण।]

मोटर वाहन - मोटर दुर्घटना दावा - क्षतिपूर्ति - की गणना - वृद्धि के लिए दावा - लगभग 21 वर्षीय मृतक, अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था, जब वे प्रत्यर्थी-निगम के एक बस से टकरा गए - अपीलकर्ताओं का तर्क कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रतिकर को और बढ़ाया जाए क्योंकि उच्च न्यायालय ने 'निर्भरता की हानि' शीर्षक के अंतर्गत प्रतिकर की राशि की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं का प्रावधान नहीं किया है- अभिनिर्धारित: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड *मामले में संविधान पीठ की उक्ति को लागू करते हुए, आय के 40% की दर से भविष्य की संभावनाओं को प्रदान करने के लिए अपीलकर्ताओं का दावा उचित है - उच्च न्यायालय ने संबंधित समय पर मृतक की आय 4,000/- रुपये प्रति माह के रूप में ली, किन्तु मृतक की स्थापित आय पर भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% प्रदान नहीं किया - इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों में, निर्भरता की मासिक हानि 4,000/- रुपये + 1,600/- = 5,600/- रुपये होगी - निर्भरता की हानि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि तदनुसार 4,32,000/- रुपये से बढ़ाकर 6,04,800/- रुपये कर दी गई, जिसमें ब्याज @ 9% प्रति वर्ष होगा - प्रत्यर्थी को ब्याज @ 9% प्रति वर्ष के साथ सम्पूर्ण निर्णीत राशि जमा करनी होगी।*

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* मामले में संविधान पीठ के निर्णय की उक्ति को लागू करते हुए, अपीलकर्ताओं द्वारा स्थापित आय के 40% की दर से भविष्य की संभावनाओं को प्रदान करने पर बल देना उचित है। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रासंगिक समय पर मृतक की कमाई 4,000/- रुपये प्रति माह के रूप में ली जा सकती है। उच्च न्यायालय ने मृतक की स्थापित आय पर भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% प्रदान नहीं किया। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों में निर्भरता की मासिक हानि 4,000/- रुपये + 1,600/- = 5,600/- रुपये होगी। दूसरे शब्दों में, 4,32,000/- रुपये की राशि में निर्भरता की हानि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि के स्थान पर, इसे 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ संशोधित कर 6,04,800/- रुपये किया जाता है। अन्य मदों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अन्य निर्देशों में छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। तदनुसार, प्रत्यर्थी परिवहन निगम को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-IV, चेन्नई (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चेन्नई) की न्यायालय में ब्याज के साथ 1,72,800/- रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। [पैरा 5, 6]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य। **एआईआर 2017 एससी 5157-** अनुसरित।

1.2 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रतिकर को 5,01,500/- रुपये से बढ़ाकर 6,74,300/- रुपये (ह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ रुपये मात्र) कर दिया गया है। प्रत्यर्थी परिवहन निगम को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पहले से जमा की गई राशि से 9% (नौ प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ सम्पूर्ण निर्णीत राशि जमा करे और अपीलकर्ता न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में प्रतिकर के हकदार होंगे। [पैरा 8]

<u>वाद विधि संदर्भ</u>

एआईआर 2017 एससी 5157 पैरा 5 अनुसरित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1754 वर्ष 2018

सी.एम.ए. संख्या 2819 वर्ष 2012 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 16.04.2013 से।

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता के. वी. जगदीश्वरन, सुश्री जी. इंदिरा।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति, ए. एम. खानविलकर द्वारा सुनाया गया था

1. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सी.एम.ए. संख्या 2819 वर्ष 2012 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16.04.2013 से उत्पन्न है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में बढ़ी हुई प्रतिकर राशि देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अपीलकर्ताओं ने प्रतिकर की राशि को इस आधार पर और बढ़ाने की मांग की है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिकर की राशि की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रावधान नहीं किया है। अपीलकर्ता अपने तर्कों के समर्थन में ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य*** के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के वर्तमान निर्णय पर आश्रय व्यक्त किया है।

2. इससे पहले कि हम अपीलकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण करें, आक्षेपित निर्णय के प्रासंगिक सार को पुन: प्रस्तुत करना उचित है जो इस प्रकार है:

"7, हमने उपरोक्त कथनों पर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

8. रोजगार के विशिष्ट प्रमाण के अभाव में, न्यायाधिकरण ने मृतक की आय को 4,000/- रुपये प्रति माह पर माना है और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50% की कटौती की है क्योंकि मृतक अविवाहित थे। हालांकि, मामले में अपनाया जाने वाला उचित गुणक 18 होना चाहिए, क्योंकि मृतक क्रमशः 21 और 20 वर्ष थे। प्रत्येक दावेदार को प्रेम और स्नेह की हानि के लिए 20,000/- रुपये की राशि और परिवहन व्यय के लिए 5,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई।

9. तदनुसार, सी.एम.ए. सं.2819 वर्ष 2012 में देय प्रतिकर निम्नानुसार होगा:
(क) निर्भरता की हानि रु. 4,32,000/-
(रु. 4,000/- 12x18)

(ख) प्रेम और स्नेह की हानि	*रु. 60,000/-*
(ग) परिवहन	*रु. 5,000/-*
(घ) अंतिम संस्कार	*रु. 2,000/-*
(ङ) संपत्ति की हानि	*रु. 2,500/-*
कुल =	*रु.5,01,500/-"*

3. अपील के अंतर्गत निर्णय का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने 'निर्भरता की हानि' शीर्षक के अंतर्गत प्रतिकर की राशि की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रावधान नहीं किया है। भविष्य की संभावनाओं को प्रदान करने की आवश्यकता को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** (उपरोक्त) में उजागर किया गया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 59 को पुन: प्रस्तुत करना उपयोगी होगा, जो इस प्रकार है:

> *"59. इस पर उत्सुकता से विचार करने के बाद, जब हम मानकीकरण के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो वास्तव में स्व-नियोजित या एक निश्चित वेतन पर रहने वाले व्यक्ति पर उक्त सिद्धांत को लागू नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है। मृत्यु के समय वास्तविक आय के सिद्धांत का पालन करना और बहुभुज के निर्धारण के उद्देश्य से आय में भविष्य की संभावनाओं के संबंध में कोई राशि नहीं जोड़ना अन्यायपूर्ण होगा। प्रतिकर की गणना करते समय आय के निर्धारण में भविष्य की संभावनाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि यह प्रणाली उचित प्रतिकर की विधिक सीमा व प्रभाव में आ सके जैसा की अधिनियम की धारा 168 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। एक मृतक के मामले में, जिसने वार्षिक वेतन वृद्धि के अंतर्निहित अनुदान के साथ एक स्थायी नौकरी की थी, एक स्वीकार्य निश्चितता है। लेकिन यह कहना कि एक मृतक के कानूनी प्रतिनिधि जो एक निश्चित वेतन पर थे, प्रतिकर की गणना के उद्देश्य से भविष्य की संभावनाओं के लाभ के हकदार नहीं होंगे, अनुचित होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस घटना में दोनों के बीच अंतर का मानदंड एक तरफ निश्चितता और दूसरी तरफ स्थिरता होगी। कोई यह समझ सकता है कि तुलनात्मक माप एक तरफ निश्चितता है और दूसरी तरफ अनिश्चितता है लेकिन ऐसी धारणा भ्रामक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल्य वृद्धि एक स्व-नियोजित व्यक्ति को प्रभावित करती है; और इसके अतिरिक्त निर्वाह के लिए किसी की आय बढ़ाने के लिए सदैव एक निरंतर प्रयास किया जाता है। जब वेतन वृद्धि और वेतन संशोधन अथवा सेवा शर्तों में किसी अन्य परिवर्तन के कारण स्थायी नौकरी पर गए वेतनभोगी व्यक्ति की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है तो कर्मचारियों से बेहतर दक्षता प्राप्त करने के लिए वेतन में वृद्धि करने के लिए निजी क्षेत्र में हमेशा प्रतिस्पर्धी रवैया रहता है। इसी भाँति, एक व्यक्ति जो स्व-नियोजित है, वह अपने संसाधनों को जुटाने और अपने प्रभार/शुल्क को बढ़ाने के लिए बाध्य है ताकि वह समान सुविधाओं के साथ रह सके। यह धारणा रखना कि वह स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहना मानव दृष्टिकोण की मौलिक अवधारणा के विपरीत है जो हमेशा गतिशीलता के साथ रहने और समय के साथ आगे बढ़ने और बदलने की इच्छा रखता है। यद्यपि यह उचित लग सकता है कि स्थायी नौकरी रखने वाले व्यक्ति के मामले के विपरीत मौजूदा आय में भविष्य की संभावनाओं के अलावा निश्चितता नहीं हो सकती है, इसप्रकार उक्त धारणा वास्तव में स्वीकृति के योग्य नहीं है। हम यह विचार करने के इच्छुक हैं कि विधिक प्रतिनिधियों के संबंध में*

जो मृतक की ओर से दावा करते हैं, के अंश में कुछ हद तक अंतर हो सकता है, जिनके पास स्व-नियोजित या निश्चित वेतन पर एक व्यक्ति की तुलना में स्थायी नौकरी थी। लेकिन निश्चितता की कथित कमी की नींव पर मानकीकरण के सिद्धांत को लागू नहीं करना जमीनी वास्तविकता के सारांश से अनजान रहने के समान होगा। और, इसलिए, अंश-परीक्षण अनिवार्य है। जब तक अंश-परीक्षण लागू नहीं किया जाता है और इसे स्थापित करने के लिए साक्ष्य जोड़ने के लिए पक्षों पर छोड़ दिया जाता है, तब तक यह अनुचित और असमान होगा। अंश-परीक्षण में 46 प्रतिशत की अंतर्निहित अवधारणा होनी चाहिए। संचयी कारकों, अर्थात् समय बीतने, बदलते समाज, मूल्य में वृद्धि, मूल्य सूचकांक में परिवर्तन, जीवन के एक विशेष स्वरूप का पालन करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण आदि को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की स्थापित आय का 40% जोड़ना और जहां मृतक 40 वर्ष से कम आयु का था, वहां 25% की वृद्धि जहां मृतक 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच था, उचित होगा।

फिर, अंतिम पैराग्राफ संख्या 61 में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"61. उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं: -

*****

*(iii) आय का निर्धारण करते समय, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन का 50% जोड़ा जाना चाहिए, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी। अतिरिक्त जोड़ 30% होना चाहिए, यदि मृतक की आयु 48 वर्ष यानी 40 से 50 वर्ष के बीच थी। **य**दि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, तो वृद्धि 15% होनी चाहिए। वास्तविक वेतन को वास्तविक वेतन कर कम कर के पढ़ा जाना चाहिए।*

(iv) यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40% जोड़ा जाना चाहिए जहां मृतक 40 वर्ष से कम आयु का था। 25% जहां मृतक 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच था और 10% जहां मृतक 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच था, को गणना की आवश्यक विधि के रूप में माना जाना चाहिए। स्थापित आय का मतलब है कर घटक को छोड़कर आय।

4. दिनांक 03.03.2007 को, मृतक (पलानी), जो उस समय केवल 21 वर्ष का था, अपने दोस्त हरिदास को पिछली गद्दी पर बैठकर एक मोटरसाइकिल चला रहा था जिसका पंजीकरण संख्या टीएन-22 एपी 5092 2008-07 था। विक्रम होटल के सामने मराईमलाई नगर में जीएसटी रोड पर ताम्बरम से चेंगलपट्टू जा रहे थे जब उस समय उनकी बस पंकीकरण सं. टीएन -21 एन 0943 से टक्कर हो गई जो की प्रत्यर्थी परिवहन निगम से संबंधित है, जिसे लापरवाही से चलाया गया था। मृतक अविवाहित था और हुंडई कार कंपनी, श्रीपेरंबदूर में संविदा कर्मी के रूप में काम करता था। ऊपर उल्लिखित संविधान पीठ की उक्ति को लागू करते हुए, अपीलकर्ताओं का स्थापित आय के 40% की दर से भविष्य की संभावनाओं को प्रदान करने पर बल देना उचित है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित समय पर मृतक की आय 4,000/- रुपये प्रति माह के रूप में ली जा सकती है। उच्च न्यायालय ने मृतक की स्थापित आय पर भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% प्रदान नहीं किया। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों में निर्भरता की मासिक हानि 4,000/- रुपये + 1,600/- रुपये = 5,600/- रुपये होगी।

5. दूसरे शब्दों में, 4,32,000/- रुपये की राशि में निर्भरता की हानि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि के बजाय, इसे 9% (नौ प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 6,04,800/- रुपये (केवल छह लाख चार हजार आठ सौ रुपये) में संशोधित किया जाएगा। हम अन्य प्रमुखों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अन्य निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।

6. तदनुसार, प्रत्यर्थी परिवहन निगम को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-4, चेन्नई (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चेन्नई) में इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर, ब्याज के साथ, जैसा की पिछले पैराग्राफ में दिया गया है, 1,72,800/- रुपये (एक लाख बहत्तर हजार आठ सौ रुपये मात्र) की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

7. दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं को देय प्रतिकर निम्नानुसार होगा:

(क) निर्भरता की हानि [रु.5,600 – 5600 का 50%) x 12x18]	रु.6,04,800/-
(ख) प्रेम और स्नेह की हानि	रु. 60,000/-
(ग) परिवहन	रु. 5,000/-
(घ) अंतिम संस्कार	रु. 2,000/-
(ङ) संपत्ति की हानि	रु. 2,500/-
कुल =	रु. 6,74,300/-

8. परिणामस्वरूप, अपील की स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रतिकर को 5,01,500/- रुपये से बढ़ाकर 6,74,300/- रुपये (छह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ रुपये मात्र) कर दिया गया है। प्रत्यर्थी परिवहन निगम को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पहले से जमा की गई राशि से 9% (नौ प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ सम्पूर्ण निर्णीत राशि जमा करे और अपीलकर्ता न्यायाधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अनुपात में प्रतिकर के हकदार होंगे। प्रथम व द्वितीय अपीलकर्ता उचित आवेदन के सत्यापन पर जमा की गई राशि को वापस लेने के हकदार हैं और तृतीय अपीलकर्ता (अवयस्क) का हिस्सा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा जब तक कि वह बालिग नहीं हो जाता है और द्वितीय दावेदार/माँ अवयस्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन महीने में एक बार उस पर ब्याज वापस लेने का हकदार है। 18 वर्ष की आयु होने पर, अवयस्क अपीलकर्ता अपने संबंधित हिस्से को वापस लेने का हकदार है।

9. तदनुसार, उपरोक्त शर्तों में अपील स्वीकृत की जाती है, जिसमें लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

अपील स्वीकृत।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय